

નારદી-નારદી

मानव साधन विकास विभाग  
भारतीय शिक्षा निकेतनालय

श्री गलगदेव पुसाद,

# ନିଦେଶାଳୀମାଧ୍ୟମିକ ଫିଆର୍ମ

શારદી, રત્નાંજલિ ।

सेवा में,

३१८

સોંપીંગરાંક્ષણ, નાં દિલ્લી

रात्रि, दिनांक २१ अप्रील, २०१३

शारथड राज्य के अन्तर्गत संचालित निवीं विधानसभा को  
सी०पी०एस०ई० से सम्बन्ध हेतु अनापति प्रभाण-पत्र  
निर्गत, शरने, ले सध्य ये :

मंडाराय,

नियेंगा तुम्हारा कठना है कि सातव श्रीधन विजास विभाग शारखड सरकार के द्वारा विजारोपण का ली ०८१०४३०५०, रो राज्य के नियंत्रण में संभारित चिपी विधालयों का राज्यकर्ता के निये अनियन्त्रित विधालयों को नहीं अफित शातर्ते एव घन्थेजो के अधिकार गंगापुरि प्रगाण-पत्र करने का निष्ठा लिया गया है।

ठुमारे- विधालय द्वा नाम

1. श्रीज पगेड़ स्कूल, तुमुदाना, राज्य।
  2. टेन्डर हट नियर लेलेपंडी विधानय, तुमुदाना, राज्य।
  3. राधागोक्कन्द परिवाह स्कूल, बाराउला, रामगढ़ इन्हं।
  4. विजली विधानप, तिलैया कुग, लोइरगाँव, रामगढ़ इन्हं।
  5. महर्षि इन्टरनेशनल एकादशी, गढुप्पुर।
  6. गिरा लेडी डी ०५०५५१० परिवाह स्कूल देवघर।
  7. रेडरोज लगूल, कास्टर टाउन, देवघर।
  8. गोप्तोप्रस्तुत्तर स्कूल, गढावा।
  9. सरस्वती शिखर विद्यालय परिवाह दार्पणमारा, धनतीरुद।
  10. मार्डन परिवाह स्कूल, हुमरो, तिलैया, लोइरगाँव।
  11. श्री दृष्टिपंडी विधानप मंदिर, विळारा नगर, रामगढ़ इन्हं।
  12. सरस्वती शिखर विद्यालय परिवाह, उमरा, राज्य।

## Principal

*Add*

1. विधालय की पांचिकी संचयता प्रत्येक 10% से अधिक होनी चाहिए जबकि प्रगार्थित दो लोगों ने विधालय की अधिकारी बनने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। इस अंतर को 10 प्रतिशत बढ़ावा देनी उसका उपयोग भविष्यक्तालय के पिछारा में किया जायेगा। विधालय में जारीरत राजीविमाओं दो लोग से लग राज्य सरकार में जारीरत समझौता कर्मियों को केवल वेतन एवं शत्ते के परावर शुण्ठान छरना होगा।
2. विधालय को किसी प्रकार ला अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. विधालय को शोहरी दोनों में 2 लोग एवं ग्राहिणी दोनों में 4 लोग भूमि विधालय के नाम से निवासियों द्वारा कम से कम 30 घण्टों के निवासियों पर होना चाहिये। यदि भविष्यत में जांचोपरान्त विन्ने स्थिति पाँडी जांचारी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार ग्राहीद्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
4. विधालय में हिन्दू भाषा की पढ़ाई अनिवार्य सा हो छोनी चाहिये।
5. नामांकन हेतु जिसी प्रकार की डोनेशन था कैफियेंशन विराज नहीं रिपोजिटरी जायगा।
6. 1 ग्रामीण रेखा से नीचे के छात्रों द्वारा 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा राय दी। सामान्य शुल्क 50 प्रतिशत शुल्क दिया जायेगा। विधालय का कार्य-कालोंपर्सोनलिटी में होना चाहिये। विधार्थियों द्वारा राष्ट्रीयताएँ ज्ञान संचार, नैतिक तथा राज्य के सामूहिक मूल्यों, ऐतिहासिक और लिक तथा दैर्घ्यतिक ज्ञान वर्द्धन आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सामाजिक प्रयोग परना होगा।
7. विधालय में छात्रों द्वारा सुरक्षित संचया एवं उसके अनुपात में शिक्षण होना चाहिये।
8. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों द्वारा संचया एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रभाग आदि में समय-समय पर राज्य सरकार लंबितोपरान्त राशोंधन कर सकेगी।
9. विधालय संचालन हेतु गणित नियामक विधि के आधार पर गणित शास्त्री नियाय के सदस्यों द्वारा अपेक्षित पूर्ण ढोने पर, तथे सदस्यों द्वारा सूची भिन्न विधायक पदाभिकारी फार्मालिय में बमा करना होगा।
10. राज्यकेन्द्र सरकार द्वारा प्राप्तों विधिविन्ने प्रकार के एकस्टेन्सन एवं प्रोग्राम तथा स्न0सी0सी10, स्न0सी0स्न0स्नाउट एवं गार्ड आदि दो शुद्धारु सम्म सुन्ना होगा।
11. मध्ये कोई स्थापा पूर्व से जिसी तोड़ी से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विधार्थी परिपत्र संघर्ष-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शास्त्री द्वारा पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का संपर्कितार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
12. उपर्युक्त शास्त्री या बन्धेष्ठो हे अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार जो अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
13. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा लंबित इग्नियांत्रों एवं गणितेष्ठों द्वारा जाली गयवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जायेगा ताकि विधालय द्वारा राष्ट्र-भा-राज्यक्षिते से विरक्त लिया जा सके तो या ऐसा इत्य जिसे सामाजिक इट्टता फैलता हो तो सरकार नियत अनापति प्रमाण-पत्र दो वापस ले सकती है।
14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा लंबित इग्नियांत्रों एवं गणितेष्ठों द्वारा जाली गयवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जायेगा ताकि विधालय द्वारा राष्ट्र-भा-राज्यक्षिते से विरक्त लिया जा सके तो या ऐसा इत्य जिसे सामाजिक इट्टता फैलता हो तो सरकार नियत अनापति प्रमाण-पत्र दो वापस ले सकती है।

-3-

(30)

हे जयपा नर्सी! इसकी बाँध सम्बन्ध-साथ पर मानव रोगाधन विभाग शारखड के सम्म  
पदाधिकारी द्वारा ही जायेगी तथा भरफुआ घब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय  
संब अकाक्षमिय आनिवारितताओं की बाँध करा कर रहेगी और जॉलोपरान्त गमुक्ती  
कारखाई कर लेगी।

16. स्तंभ विधयक फिरी प्रकार के व्याख्य मामलों का निपटारा माननीय  
शारखड उच्च स्वायत्तत्व, राजीव के लेखाधिकार के अन्तर्गत होगा।

17. सम्बन्ध सम्बन्ध पर बोलाए गए सारलार द्वारा विधालय सम्बन्धन रखी।  
जो निर्णय लिए जाएंगे उसका अनुपालन करना आनिवार्य होगा गव्यथा शास्त्रों के  
उल्लंघन मानते हुए अनापति छक प्रबाल-पत्र जापर लेने के साथ-साथ गव्य जानूनी  
कारखाई भी दर्श बाँधेगी।

### प्रधानाधिकारी

३० अगले देव प्रसाद

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा  
शारखड, राजीव

दापाल ९३५

राजीव, दिनांक २१ अप्रृता, 2003  
प्रतिलिपि, संस्थाधित सभी देशीय उप निदेशालय/राजीव विभाग विधालय पदाधिकारी/  
राजीव संस्थाधित विधालय के प्रधानाधार्य जो सूचनार्थ प्रेषित।

३० अगले देव प्रसाद  
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा  
शारखड, राजीव।

दापाल ९३५

राजीव, दिनांक २१ अप्रृता, 2003  
प्रतिलिपि, माननीय भवी के आपत्त संचित राजीव गानध रोगाधन विभाग  
विभाग जो सूचनार्थ रव आवश्यक कारखाई हेतु प्रेषित।

३० अगले देव प्रसाद  
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा  
शारखड, राजीव।

Principal

Modern Public School  
Jhumri Telaiya, Koderma, Jharkhand-825409  
M. No. 2207

३० अगले देव  
Manager  
Modern Public School  
Jhumri-Telaiya